

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1

लखनऊ:दिनांक: 27 जून, 2016

विषय: उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 के बिन्दु 3.3.2.2 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय,


आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति 30प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति 30प्र0-2012 को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या-3.3.2.2 "केस-टू-केस आधारित प्रोत्साहन" में निम्नवत् व्यवस्था है:-

3.3.2.2 केस-टू-केस आधारित प्रोत्साहन (incentives on Case to Case basis)

- ₹0 200 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित निवेश वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा मेगा निवेश परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों के लिए प्रदेश में "रेडी टू मूव इन" सुविधा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आईटी अवस्थापना निजी विकासकर्ता, जिन्हें 10 एकड़ क्षेत्र में अथवा विगत 5 वर्षों में, ₹0 200 करोड़ से अधिक के निवेश से आईटी अवस्थापना विकास का अनुभव है, उन्हें भी पृथक-पृथक प्रकरण के आधार पर प्रदेश के सोपान-2 व सोपान-3 के नगरों में 05 एकड़ के क्षेत्र से अधिक को आईटी पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। विकासकर्ता को प्रोत्साहन राशि इस शर्त सहित अनुमन्य की जायेगी कि वह फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के 75 प्रतिशत भाग का उपयोग आईटी सुविधा के लिए परिचालन आरम्भ होने की तिथि से 10 वर्षों के लिए किया जाये।
- उपरोक्त प्रदर्शित प्रोत्साहन सशक्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही अनुमन्य होंगे।

प्रो० स्व० रस०


28-06-2016

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के क्रम में अपने अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, संगठनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में प्रदेश शासन के उक्त संकल्प का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-695(1)/78-1-2016 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, 30प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
- 3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि०/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०/श्रीट्रान इण्डिया लि०।
- 6- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, अपट्रान भवन गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र०, शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(हराराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।